# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0085 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 27/03/2026 17:40 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7A |
| 3 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 61(2) |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** बुधवार **Date From (दिनांक से):** 25/03/2026 **Date To (दिनांक तक):** 25/03/2026

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 10:45 बजे **Time To (समय तक):** 18:56 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 27/03/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 004 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 27/03/2026 17:40:21 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** THANA KTHUMAR MAIN GATE KE SAMNE, NAGAR KHERLI ROAD KATHUMAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAJPAL SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** VEER SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1998 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | PATA, NOUGANWA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | GRAM PATA, NOUGANWA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMESHWAR SINGH GURJAR | | पिता:RAMSO SINGH | 1. GRAM POST PANHORI, DEEG,डीग,RAJASTHAN,INDIA |
| 2 | NIRAJAN SINGH | | पिता:RAMCHANDRA | 1. TASAI,KATHUMAR,ALWAR,RAJ |
| 3 | NARENDRA KUMAR | | पिता:PANCHARAM MEENA | 1. MANOTA KALAN,NAGAR,डीग, RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 20,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

https//हालात प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.03.2026 समय 10.45 एएम, पर एसीबी चौकी भरतपुर पर परिवादी श्री राजपाल सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय जयपुर के हेल्पलाइन नम्बर 1064 पर हुई वार्तानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह को जरिए मोबाइल नं. से कॉल कर बताया कि मैं राजपाल सिंह बोल रहा हूं मेरे बुआ के लडके ईश्वर सिंह को कठूमर पुलिस थाने में बंद कर रखा है और उसके छुडवाने और उसको पीसी रिमांड से बचाने की एवज में एएसआई नरेन्द्र व अन्य स्टॉफ द्वारा अपने दलाल के मार्फत 40000 रूपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। मैं कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मैं अभी कठूमर थाने जा रहा हूं। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को एसीबी टीम के पहुंचने तक पुलिस थाना नही जाने की हिदायत दी गई आदि पर अग्रिम कार्यवाही के लिए रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से निकालकर उसमे नया मैमोरी कार्ड 16 जीबी सैनडिस्क को डालकर श्री सुशील कुमार कानि. नं.557 एवं श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री सुशील कुमार कानि. नं.557 एवं श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वे कठूमर जाकर परिवादी श्री राजपाल सिंह से जरिए मोबाइल सम्पर्क कर परिवादी को आरोपी के पास जाने से पूर्व रिकार्डर चालू कर अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर बन्द कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर अपने पास रखे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को समस्त हालात जरिए वाट्सअप कॉल बताते रहें एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर से अनावष्यक छेडछाड नही करें। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु श्री सुशील कुमार कानि. नं.557 एवं श्री गोकुलेश कानि. नं. 454 को श्री गोकुलेश कानि. की निजी कार से पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर रवाना किया गया। इसके बाद समय 1.10 पीएम पर श्री सुशील कानि. नं. 557 ने जरिए वाट्सअप कॉल कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर को बताया कि हमने कठूमर पहुंचकर परिवादी श्री राजपाल सिंह से सम्पर्क किया जिस पर परिवादी श्री राजपाल सिंह ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के नाम संबोधन करते हुए एक स्वयं को हस्तलिखित प्रार्थना पत्र कार्यवही करवाने के आशय से पेश किया है जिस पर हमने निर्देशानुसार विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू एवं बंद करने की विधि समझाकर आरोपी के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पुलिस थाना कठूमर रवाना कर दिया था जिस पर थोडी देर बाद परिवादी राजपाल सिंह पुलिस थाना कठूमर से बाहर आ गया और हमने परिवादी से वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर लिया है एवं परिवादी ने बताया है कि मेरी दलाल निरंजन और सिपाही रामेश्वर से रिश्वत संबंध में वार्ता हो गई है एवं रामेश्वर ने मेरे बुआ के लडके ईश्वर सिंह का पीसी रिमांड ना लेकर जेसी करवाने के एवज मुझसे एसएचओ साहब के लिए 20000 रूपये की रिश्वत की मांग की है। आदि पर श्री सुशील कानि. को निर्देष दिये गये कि संदिग्ध एएसआई नरेन्द्र मीणा से भी रिश्वत मांग सत्यापन का प्रयास करें। इसके बाद समय 2.10 पीएम पर श्री सुशील कानि. नं. 557 ने जरिए वाट्सअप कॉल मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि हमने निर्देशानुसार परिवादी को संदिग्ध नरेन्द्र एएसआई के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी को पुलिस थाना कठूमर रवाना कर दिया था जिस पर थोडी देर बाद परिवादी राजपाल सिंह पुलिस थाना कठूमर से बाहर आ गया और हमने परिवादी से वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर लिया है एवं परिवादी ने बताया है कि मेरी नरेन्द्र एएसआई से रिश्वत संबंध में वार्ता हो गई है एवं उसने मुकदमें में मदद करने के एवज मुझसे 20000 रूपये की रिश्वत लेने पर सहमत हो गया है जिसमें से 1000 रूपये मैंने मौके पर दे दिये है एवं दोनो आरोपी आज ही रिश्वत लेने की कह रहें है अतः आप अग्रिम कार्यवाही हेतु पधारें। आदि पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हिदायत दी कि आप वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखे और अनावष्यक छेडछाड नही करें। इसके बाद 02.30 पीएम-पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय जयपुर में श्रीमान उप महानिरीक्षक महोदय को दिगर राजकार्य में व्यस्त होने के कारण से अवगत करवाये जाने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही के लिए अन्य अधिकारी नियुक्त करने के लिए निवेदन किया जाने पर मुख्यालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् रविन्द्रसिंह पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो दौसा को नियुक्त किया गया। इसके बाद समय-04.00 पीएम-पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री दिलीप सिंह कानि. 610 , श्री रितेश कुमार कानि. 64 मय वाहन सरकारी मय चालक विजयसिंह के मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स एव अन्य ट्रेप सम्बंधी साजो सामान के कस्बा कठूमर रवाना होकर समय समय-05.00 पीएम-पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री

रीतराम सिंह सहायक उप निरीक्षक मय श्री दिलीप सिंह कानि. 610 ,श्री रितेश कुमार कानि. 64 मय वाहन सरकारी मय चालक विजयसिंह के मय लैपटॉप प्रिन्टर , ट्रेप बॉक्स एव अन्य ट्रेप सम्बंधी साजोसामान के फिकरा उपरोक्त का रवानाषुदा हुल्याना रोड कस्बा कठूमर पहुंचे जहां निर्देशानुसार श्री सुशील कुमार कानि. एवं श्री गोकुलेश कानि. मय परिवादी श्री राजपाल सिंह के उपस्थित मिले जिनसे मूल प्रार्थना पत्र प्राप्त किया जिस पर श्री अमित सिंह अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये गये एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को प्राप्त कर परिवादी की मौजूदगी में लैपटॉप से कनैक्ट कर सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। इसके बाद समय-05.45 पीएम-पर ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार मन् श्री रविन्द्र सिंह उप अधीक्षक पुलिस प्रभारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी दौसा मय टीम मय स्वतंत्र गवाहान के सरकारी व प्राइवेट वाहन से हुल्याना रोड कठूमर पहुंचा जहां मेरा परिचय परिवादी श्री राजपाल सिंह से करवाया गया एवं अब तक की गई समस्त कार्यवाही से अवगत करवाया गया एवं परिवादी द्वारा दिये गये मूल प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज मय रनिंग नोट, अन्य फर्दात एवं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मेमोरी कार्ड को जरिए फर्द अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। इसके बाद श्री अमित सिंह अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर दीगर राजकार्य हेतु श्री गोकुलेश कानि. 454 को छोडकर शेष मय स्टाफ के मौके से रवाना हुये। मन् पुलिस उप अधीक्षक, श्री अमित सिंह अति. पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर द्वारा सुपुर्द की गई पत्रावली एवं परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री राजपाल सिंह ने बताया कि मैने आज दिनांक 25.03.2026 को एसीबी मुख्यालय जयपुर के हैल्पलाईन नं0 1064 पर जरिये दूरभाष सम्पर्क किया तो मुझको श्री अमित सिंह, एएसपी एसीबी भरतपुर के मोबाइल नम्बर देकर उन पर वार्ता कर मेरी शिकायत पर कार्यवाही हेतु बताया था जिस पर मैने जरिये दूरभाष कॉल कर श्री अमित सिंह एएसपी साहब को बताया था कि मै राजपाल सिंह बोल रहा हॅू मेरे बुआ के लडके ईश्वर सिंह को कठूमर पुलिस थाने में बन्द कर रखा है उसको छुडवाने और पीसी रिमाण्ड से बचाने की एवज में श्री नरेन्द्र एएसआई व अन्य स्टाफ द्वारा अपने दलाल के मार्फत 40,000/- हजार रूपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। जिस पर श्री अमित सिंह एएसपी साहब द्वारा मेरे को ट्रेप कार्यवाही की प्रक्रिया बताते हुये रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु श्री सुशील कुमार कानि0 व श्री गोकुलेश कानि0 एसीबी भरतपुर को मेरे पास कठूमर भिजवाया था। जिनको मैने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो भरतपुर के नाम संबोधन करते हुये एक स्ंवय का हस्तलिखित प्रार्थना पत्र जिस पर मेरे हस्ताक्षर व मेरे फुफा के अगूंठा निशानी लगे हुये प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ‘ मुझ प्रार्थी राजपाल सिंह पुत्र श्री वीरसिंह उम्र 28 साल जाति रायसिख निवासी पाटा थाना नौगांवा अलवर का मूल निवासी हॅू। मेरी बुआजी के लडके ईश्वर सिंह पुत्र वीर सिंह ने लडकी सपना सैनी निवासी टिटेडा थाना कठूमर अलवर से लव मैरिज की थी। लडकी सपना के परिवार ने मेरे भाई ईश्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा नं0 82/2026 मेरे भाई ईश्वर व भाभी सपना को पुलिस सुरक्षा के लिये एसपी ऑफिस अलवर गये थे जहॉ से कठूमर थाने में गिरफ्तार करके लाये थे। जब मै उनसे थाना कठूमर में मिलने गया तो भाई ईश्वर सिंह को पुलिस रिमाण्ड से बचाने व मुकदमें में मदद करने के लिये कानि0 आई सी, नरेन्द्र सिंह मीणा एएसआई व दलाल निरंजन के साथ मिलकर थानाधिकारी के नाम से 20,000/- रूपये की मांग की व एएसआई साहब ने अलग से 20,000/- रूपये मांग की। मै ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को रिश्वत नही देना चाहता हॅू। इनसे मेरी कोई पुरानी रंजिश नही है और ना ही कोई लेन देन बाकी है। यह मेरे साथ बैठे हुये है यह मेरे फुफाजी है मै इनके कहने पर ही यह कार्यवाही करवा रहा हॅू। मेरे फुफाजी चलने फिरने में असमर्थ है। इसलिये सम्पूर्ण कार्यवाही मेरे द्वारा ही करवाई जा रही है। ईश्वर सिंह पुत्र श्री वीर सिंह जो थाने में ही बन्द है। वह मेरा भाई है। मेरे पास ही फुफाजी व इनका लडका है। श्रीमान से निवेदन है कि कार्यवाही करने की कृपा करें इत्यादि मजमून की रिपोर्ट ब्यूरो चौकी भरतपुर से आये कानि0 श्री सुशील कुमार व श्री गोकुलेश कानि0 को देने के उपरान्त मुझे डिवीआर को चलाने व बन्द करने की विधि समझाकर डीवीआर में नया मैमोरी कार्ड डालकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कठूमर थाने पर भिजवाया था। जहॉ एक बार हमारे मुकदमें में सहायता करने के संबंध में श्री रामेश्वर कानि0 व श्री निरंजन प्राईवेट व्यक्ति से रिश्वत मांगने के संबंध में वार्ता हुई थी जिन्होने हमारे मुकदमें में थानाधिकारी से मदद करवाने की एवज में 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग की थी व आज ही 20,000/- रूपये देने हेतु मुझे कहा था। तथा एक बार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता श्री नरेन्द्र एएसआई से हुई थी जिन्होने भी मेरे से 20,000/- रिश्वत मांगने की वार्ता की थी। श्री नरेन्द्र एएसआई को मैने वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 1000 रूपये दिये थे व शेष 19,000/- रूपये बाद में देने बाबत उन्होने कहा था। उक्त वार्तायें मैने डीवीआर में रिकॉर्ड करके डीवीआर श्री गोकुलेश कानि0 को सुपुर्द कर दिया था। जिन्होने ने उक्त कार्यवाही के संबंध में श्री अमित सिंह, एएसपी को जरिये दूरभाष अवगत करवाया था। कुछ समय बाद श्री अमित सिंह, एएसपी एसीबी भरतपुर हमारे पास कठूमर में हमारे पास आ गये थे। श्री अमित सिंह एएसपी ने मुझसे रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बारे में पूछा तो मैने उनको पूरी बात बता दी थी। इस पर श्री अमित सिंह एएसपी ने मुझे बताया कि उक्त ट्रेप की अग्रिम कार्यवाही रविन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक एसीबी दौसा करेगें। इसी दौरान आप मय जाब्ते के मौके पर आ गये। मेरे फुफाजी वीरसिंह अभी अभी कठूमर कस्बे में गये है अग्रिम कार्यवाही मे ही करवाउंगा। इस पर मेरे द्वारा परिवादी श्री राजपाल सिंह को हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी द्वारा श्री अमित सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर द्वारा बताई गई बातों की ताईद की गई।

तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 16 जीबी को कार्यालय के डीवीआर में लगाकर लैपटॉप से जोडकर सरसरी तौर पर सुना गया तो संदिग्ध श्री नरेन्द्र एएसआई व श्री रामेश्वर कानि0 तथा श्री निरंजन प्राईवेट व्यक्ति द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि होना पाई गई। मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 16 जीबी जिसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 25.03.2026 रिकॉर्ड है को डीवीआर से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 06‘00 पीएम पर परिवादी श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री वीरसिंह उम्र 28 साल जाति रायसिख निवासी पाटा थाना नौगांवा अलवर का हमराह दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन जोनवाल पुत्र श्री रमेश चन्द्र जोनवाल उम्र 33 साल जाति बैरवा निवासी पायलेट नगर प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, आगरा रोड दौसा हाल पशुधन निरीक्षक, कार्यालय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पंचकुईया, दौसा व श्री मोहन प्रकाश बैरवा पुत्र श्री धन्ना लाल बैरवा जाति बैरवा उम्र 32 साल निवासी गंगा विहार कॉलोनी सोमनाथ नगर, दौसा हाल पशुधन निरीक्षक, कार्यालय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बालाजी कुशला का बास, कालाखों जिला दौसा व हमराह एसीबी जाब्ता का आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन जोनवाल व श्री मोहन प्रकाश बैरवा को परिवादी श्री राजपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढवाया जाकर व अब तक की गई कार्यवाही के बारे में अवगत करवाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहने पर हर दोनों ने अपनी सहमति प्रदान की। स्वतंत्र गवाहान द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् मेरे द्वारा परिवादी श्री राजपाल सिंह से पूछने पर बताया कि उसके परिजन जो कठूमर थाने के बाहर बैठे है उन्होने जरिये दूरभाष उसे बताया है कि श्री नरेन्द्र सिंह एएसआई थाने पर नही है श्री रामेश्वर कानि0 ही थाने पर उपस्थित है। अतः अभी केवल श्री रामेश्वर कानि के खिलाफ ही ट्रेप कार्यवाही की जा सकती है। इसके बाद समय 06ः15 पीएम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन जोनवाल व श्री मोहन प्रकाश बैरवा के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस के द्वारा परिवादी श्री राजपाल सिंह से आरोपी श्री रामेश्वर कानि0 पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर व श्री निरंजन, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) को दी जाने वाली 20,000 रूपये की रिश्वत राशि पेष करने बाबत कहा तो परिवादी श्री राजपाल सिंह ने अपने पास से आरोपी श्री रामेश्वर कानि0 व श्री निरंजन, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) को दी जाने वाली रिश्वत राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/-रू0 निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया गया। परिवादी द्वारा पेष शुदा नोटों पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से पृथक से हमराह लाये फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी जो रामखिलाडी कानि0 के पास थी जिसे निकलवाया जाकर सडक के किनारे पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 20,000 रूपये के नोटों को पृथक-पृथक रखकर उन पर श्री रामखिलाडी कानि0 52 से अच्छी तरह से बारी-बारी से फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री राजपाल सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री नवीन जोनवाल से लिवाई गई तो उसके पास मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्ति जनक वस्तु व सामान नहीं मिला। उक्त फिनोफ्थैलीन पाउडर युक्त आरोपी श्री रामेश्वर कानि0 व श्री निरंजन, प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) को दी जाने वाली रिश्वत राशि 20,000/-रू. के नोट श्री रामखिलाडी कानि0 52 से परिवादी श्री राजपाल सिंह के पहने हुई पेंट की सामने की दायी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटो को तब तक नही छुयेगा जब तक कि आरोपीगण रिश्वत की मांग नही करे तथा मांगने पर ही वह पाउडर युक्त राशि उन्हे देवे। और ध्यान रखे की आरोपीगण रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखते है। परिवादी को आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मिस कॉल देकर मन् उप अधीक्षक पुलिस व ट्रेप टीम को रिश्वत देने का निर्धारित ईशारा करने बाबत बताया। इसके पश्चात दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन देन को देखने का यथा सम्भव प्रयास करे। जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया था उसको जलवाकर नष्ट करवाया गया। उसके पश्चात एक नये साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मगंवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त गिलास के घोल में श्री रामखिलाडी कानि0 52 के हाथों की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी व गवाहान को फिनोप्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की रासायनिक क्रिया के बारें में बताया गया। इसके बाद उक्त डिस्पोजल गिलास के गुलाबी घोल को रोड के साईड में फिंकवाया गया एंव डिस्पोजल गिलास को नष्ट करवाया गया। तत्पष्चात पाउडर लगाने वाले श्री रामखिलाडी कानि0 52 के दोनो हाथो को साबुन एंव साफ पानी से धुलवाये जाकर श्री रामखिलाडी कानि0 52 को फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी देकर कार्यालय, एसीबी चौकी दौसा हेतु रवाना किया गया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं परिवादी, गवाहान एंव ट्रेप पार्टी के सदस्यां के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप बाक्स में रखी खाली शिशीयां, ढक्कन, चम्मच डिस्पोजेबल गिलास आदि को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। परिवादी को छोडकर सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो सभी के पास कोई आपत्ति जनक वस्तु नहीं मिली, केवल विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल ही रहने दिये गये। श्री गोकूलेश कानि. एसीबी चौकी भरतपुर को डीवीआर मय नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी लगाकर सुपुर्द किया जाकर हिदायत दी गई कि परिवादी को थाना कठूमर पर भेजने से पूर्व डीवीआर चालू कर परिवादी को देवे जिससे वह आरोपीगण एंव उसके मध्य रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड कर लेवें। इसके बाद समय 06ः45 पीएम पर

परिवादी श्री राजपाल सिंह व श्री गोकुलेश कानि0 454 एसीबी चौकी भरतपुर को परिवादी की निजि कार व मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान जाब्ता के प्राईवेट व सरकारी वाहन मय ट्रेप बॉक्स मय अनुसंधान सामग्री के हुल्याना रोड कठुमर से थाना कठूमर के लिये रवाना होकर समय 06ः50 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराहीयान जाब्ता के प्राईवेट व सरकारी वाहन मय परिवादी श्री राजपाल सिंह व श्री गोकुलेश कानि0 454 एसीबी चौकी भरतपुर के पुलिस थाना कठूमर के पास करीब 100 मीटर पहले खेडली रोड पर वाहनों को एक साईड में लगाकर सभी को वाहनों से नीचे उतार कर श्री गोकुलेश कानि0 व परिवादी श्री राजपाल सिंह को हिदायत मुनासिब कर थाना कठूमर के लिये रवाना किया एंव मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान जाब्ता के अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के नियत ईशारे के इन्तजार में पुलिस थाना कठूमर के आस पास मुकीम हुये थे। इसके बाद समय करीब 06ः56 पीएम.पर परिवादी श्री राजपाल सिंह ने थाना कठूमर के मैन गैट के सामने खडे होकर अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया। जिसको मैने व दोनो स्वतंत्रं गवाहान व हमराहीयान ब्यूरो स्टाफ द्वारा देखा गया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो स्टॉफ के सदस्यों को लेकर परिवादी के पास थाना कठूमर के मैन गेट पर पहुंचकर परिवादी से डिवीआर प्राप्त कर बन्द किया जाकर अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात परिवादी ने पुलिस कानिस्टेबल की वर्दी में व एक सादा कपडे में अपने पास खडे हुये व्यक्तियों  की तरफ ईशारा कर बताया कि साहब ये आरोपी रामेश्वर सिंह कानिस्टेबल पुलिस थाना कठूमर है तथा दूसरा व्यक्ति श्री निरंजन इनका दलाल है जिन्होने मेरे से अभी अभी मेरे बुआ के लडके ईश्वर सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमें में मदद करने के नाम पर 20,000/- रिश्वत राशि जो श्री रामेश्वर कानि0 के कहने पर मैने श्री निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति को दी है जिसने उक्त रिश्वत राशि को अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने पहने हुये पायजामें में दॉये घुटने के पास बनी जेब में रखी है। रिश्वत राशि के श्री रामेश्वर कानि0 ने अपने हाथ में नही लेकर प्राईवेट व्यक्ति श्री निरंजन सिंह को दिलवाई है। जो अभी भी उसकी जेब में ही रखी है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुये आने का मनतव्य बताते हुये हर दोनों व्यक्तियों को डिटेन कर नाम पता पूछा तो पुलिस कानिस्टेबल की वर्दी पहने हुये व्यक्ति ने अपना नाम रामेश्वर सिंह गुर्जर पुत्र श्री रमसू सिंह जाति गुर्जर उम्र 38 साल निवासी पान्होरी थाना सदर डीग जिला डीग हाल कानि0 नं0 17 पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम निरंजन सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र  जाति राजपुत उम्र 54 साल निवासी तसाई, पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर का होना बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हर दोनों आरोपीगण से पृथक-पृथक परिवादी से 20,000/- रिश्वत लेने बाबत पूछताछ तो श्री रामेश्वर कानि0 ने बताया कि मैने किसी से कोई रिश्वत राशि नही ली है व ना ही किसी को दिलवाई है और ना ही मेरे पास आपके परिवादी का कोई काम है व श्री निरजंन सिंह ने बताया कि मैने आपके परिवादी से 20,000/- रूपये श्री रामेश्वर सिंह कानि0 के कहने पर प्राप्त किये है और उक्त 20,000/- रूपये रिश्वत राशि को अपने दोनों हाथों से गिनकर अपने पहने हुये पायजामें की घुटने के पास की दॉयी जेब में रखी है। जो अभी भी मेरी जेब में ही है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी श्री राजपाल सिंह ने बताया कि कानिस्टेबल श्री रामेश्वर सिंह झूठ बोल रहे है श्री रामेश्वर सिंह के कहने पर ही मैने श्री निरंजन को 20,000/- रूपये दिये है। आज दिन में जब मै थाने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु आया था तब भी मुझे श्री रामेश्वर सिंह कानि0 व श्री निरजंन सिंह थाने पर मिले थे जिन्होने मेरे से मेरे फुफेरे भाई ईश्वर सिंह के खिलाफ कठूमर थाने में दर्ज मुकदमें में थानाधिकारी से मदद करवाने के नाम पर मुझसे 20,000/- रूपये रिश्वत के मांगे थे तथा श्री नरेन्द्र सिंह एएसआई साहब ने भी मुझसे 20,000/- मांगे थे। श्री नरेन्द्र िसंह एएसआई ही मेरे फुफेरे भाई श्री ईश्वर सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमें का अनुसंधान कर रहे है।  तत्पश्चात मन उप अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ को हमराह लेकर श्री रामेश्वर कानि व श्री निरजंन सिंह को डिटेन कर थाने के मैन गेट से थानाधिकारी कक्ष में लाकर कुर्सी पर बैठाकर पुनः तसल्ली देकर पुछताछ की तो हर दोनों ने अपने पूर्व कथनों की ताईद की। तत्पश्चात श्री निरजंन सिंह प्राईवेट व्यक्ति को अपनी जेब में रखी रिश्वत राशि निकालकर पेश करने हेतु कहा तो उसने अपने पहने हुये पायजामें की घुटने के पास की दॉयी जेब से निकाल कर स्वंतत्र गवाह श्री नवीन जोनवाल को पेश किये। उक्त पेशशुदा नोटों को दोनों गवाहान से गिनने व लैपटॉप में तैयार की गई फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों से मिलान करवाया गया तो उक्त पेश शुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500-500 रूपये के कुल 20,000 /- रूपये होना पाये गये। जिन्हे गवाह श्री नवीन जोनवाल के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी दो डिस्पोजल गिलास निकालकर थाना परिसर में से पानी की बोतल लाकर हर दोनों गिलास में पानी डालकर हर दोनों गिलास में सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे मौजुदागान ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री निरंजन सिंह के पहले गिलास में दाहिने हाथ की अंगुलियों/अंगूठे को तथा दूसरे गिलास के घोल में उसके बायें हाथ की अगुलियां/अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो दोनों हाथों के धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे ंमौजूदगान ने देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त दोनों गिलासों के धोवन को दो-दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क RH-1, RH-2  व LH-1, LH-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई। इसके बाद आरोपी निरंजन सिंह से उसके द्वारा पहने हुये पायजामें को शालीनता से दूसरे लोवर से बदलवाया गया। तत्पश्चात एक साफ प्लास्टिक

डिस्पोजेबल गिलास निकलवाकर उक्त गिलास में पानी भरवाकर कुछ मात्रा में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे मौजूदगान को दिखाया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना ही बताया जिसमें श्री निरंजन सिंह के पहने हुये पायजामें की दाँये घुटने की जेब को उल्टाकर उक्त घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे मौजूदगान देखकर हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-2 डालकर सील मोहर कर चिट चस्पाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1, P-2 अंकित कर कब्जा पुलिस ली गई एवं आरोपी श्री निरंजन सिंह के पायजामें की उक्त जेब को सुखवाकर जेब पर लाल पैन से गोला कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपडे की थैली में सील मोहर कर उस पर भी संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि बरामदगी एवं धौवन की उपरोक्त कार्यवाही की सरकारी मोबाइल में नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी लगाकर श्री राकेश कुमार कानि0 से विडियोग्राफी करवाई गई। जिसकी पृथक से नियमानुसार फर्द मुर्तिब की जावेगी। स्वंतत्र गवाह श्री नवीन जोनवाल के पास रखवाई गई 20,000/- रूपये रिश्वती राशि का विवरण एवं विस्तृत विवरण फर्द बरामदगी रिश्वत राशि में अंकित किया गया। उक्त रिश्वत राशि 20,000/- रूपये को नियमानुसार सील चिट चस्पाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त परिवादी श्री राजपाल सिंह व आरोपीगण श्री रामेश्वर सिंह कानि0 व श्री निरंजन सिंह के मध्य हुई रूबरू वार्ता जो डीवीआर में रिकार्डेड है जिसको चालूकर सुना गया तो रिश्वत लेन देन की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। डीवीआर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। इसके बाद समय 09ः15 पीएम पर पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर के मुकदमा नम्बर 82/2026 की अनुसंधान पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर को पत्र जारी किया था। जिस पर श्री गुलाब सिंह उप निरीक्षक ड्यूटी ऑफिसर पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर द्वारा उक्त पत्र पर ही लिखित में दिया है कि उक्त प्रकरण की पत्रावली आई/ओ0 श्री नरेन्द्र सिंह एएसआई लेकर आज मुल्जिम पेश करने अलवर गये है जो अब तक थाने पर नही आये है। श्री नरेन्द्र सिंह एएसआई के थाने पर आने पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी जावेगी। पत्र शामिल पत्रावली किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने गोपनीय रूप से मालूमात किया गया तो श्री नरेन्द्र सिंह एएसआई को ट्रेप कार्यवाही की खबर होने पर थाने से गायब होना पाया। श्री नरेन्द्र एएसआई के उपस्थित आने पर आईन्दा अनुसंधान किया जावेगा। इसके बाद समय 09ः30 पीएम पर मन उप अधीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन जोनवाल व श्री मोहन प्रकाश बैरवा व परिवादी श्री राजपाल सिंह के सामने दिनांक 25.03.2026 रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री राजपाल सिंह व आरोपी श्री रामेश्वर कानि0 17 पुलिस थाना कठूमर व श्री निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति तथा श्री नरेन्द्र मीणा एएसआई पुलिस थाना कठूमर के मध्य रूबरू वाताओं के रिकॉर्डशुदा मैमोरी कार्ड को अपने पास से निकालकर डीवीआर में लगाकर लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त रिकॉडशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री राजपाल सिंह ने अपने स्वंय संदिग्ध आरोपी श्री रामेश्वर कानि0 17 पुलिस थाना कठूमर व श्री निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति तथा श्री नरेन्द्र मीणा एएसआई पुलिस थाना कठूमर की आवाज की पहचान की। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री राजपाल सिंह ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पैनड्राईव बनाने हेतु दो खाली पैनड्राईव EVM 16 जीबी एवं तीन डीवीडी ट्रेप बॉक्स से निकलवाये जाकर दोनों पैन ड्राईव एवं तीनों डीवीडीयों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 16 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से दोनों पेनड्राईव EVM 16 जीबी में सेंड टू ऑप्षन से कॉपी तैयार की जाकर दोनों पेनड्राईव को बारी-बारी से पुनः लैपटॉप में जोडकर चलाकर सुना गया तो मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कॉपी हुब हू होना पायी गयी। इसके बाद दोनों पैन ड्राईव को पृथक-पृथक उनके कवर में रखकर कवर के पीछे चिट चस्पा कर मार्क- A-1, A-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क A-1 को उसके कवर सहित एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क A-1 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क A-2 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तथा तीनों डीवीडीयों को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 16 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बर्न आप्शन से कॉपी की जाकर बारी-बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो प्रत्येक डीवीडी में मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की हुबहु कॉपी होना पाई गई। इसके बाद तीनों डीवीडीयों को पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में रखकर कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर क्रमश मार्क A-3, A-4 A-5 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् उक्त वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 16 जीबी को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर प्लास्टिक की डिब्बी में डालकर प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्डमोहर किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M-1 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिवीआर में लगे एसडी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा वार्तालाप की जो पैनड्राईव व डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी प्रकार की छेडछाड व कांट छांट नही की गई है। जिसका विस्तृत वर्णन फर्द में अंकित है। मैमोरी कार्ड एवं पैन ड्राईवों व डीवीडीयों की हैश वैल्यू निकालकर उसका कम्प्युटर से प्रिंट निकालकर शामिल फर्द किया गया। उपरोक्त

ट्रांसक्रिप्ट व पैन ड्राईव व डीवीडीयाँ मेरे निर्देशन में कानि0 श्री गोकुलेश नं0 454 एसीबी चौकी भरतपुर से तैयार करवाई गई। तत्पश्चात समय 11ः40 पीएम पर मन उप अधीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन जोनवाल व श्री मोहन प्रकाश बैरवा व परिवादी श्री राजपाल सिंह के सामने दिनांक 25.03.2026 रिश्वत लेन देन के समय परिवादी श्री राजपाल सिंह व आरोपी श्री रामेश्वर कानि0 17 पुलिस थाना कठूमर व श्री निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति के मध्य रूबरू वाताओं के रिकॉर्डशुदा मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी को अपने पास से निकालकर डीवीआर में लगाकर लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त रिकॉडशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री राजपाल सिंह ने अपने स्वंय संदिग्ध आरोपी श्री रामेश्वर कानि0 17 पुलिस थाना कठूमर व श्री निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति की आवाज की पहचान की। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं परिवादी श्री राजपाल सिंह ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पैनड्राईव बनाने हेतु दो खाली पैनड्राईव EVM 16 जीबी एवं तीन डीवीडी ट्रेप बॉक्स से निकलवाये जाकर दोनों पैन ड्राईव एवं तीनों डीवीडीयों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 8 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से दोनों पेनड्राईव EVM 16 जीबी में सेंड टू ऑप्शन से कॉपी तैयार की जाकर दोनों पेनड्राईव को बारी-बारी से पुनः लैपटॉप में जोडकर चलाकर सुना गया तो मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता की कॉपी हुब हू होना पायी गयी। इसके बाद दोनों पैन ड्राईव को पृथक-पृथक उनके कवर में रखकर कवर के पीछे चिट चस्पा कर मार्क- B-1 B-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेनड्राईव मार्क B-1 को उसके कवर सहित एक सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क B-1 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा मार्क  B-2 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। तथा तीनों डीवीडीयों को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे सैनडिस्क 8 जीबी मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ता की लैपटॉप की सहायता से बर्न आप्शन से कॉपी की जाकर बारी-बारी से लैपटॉप में चलाकर सुना गया तो प्रत्येक डीवीडी में मूल मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड वार्ता की हुबहु कॉपी होना पाई गई। इसके बाद तीनों डीवीडीयों को पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में रखकर कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर क्रमश मार्क B-3 B-4 B-5 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात् उक्त वार्ताओं के मूल मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी को सुरक्षित हालात मे यथावत वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसी के कवर में डालकर कवर पर चिट चस्पा कर मार्क M-2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कवर सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्डमोहर किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क M-2 अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिवीआर में लगे एसडी मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डषुदा वार्तालाप की जो पैनड्राईव व डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी प्रकार की छेडछाड व कांट छांट नही की गई है। जिसका विस्तृत वर्णन फर्द में अंकित है। मैमोरी कार्ड एवं पैन ड्राईवों व डीवीडीयों की हैष वैल्यू निकालकर उसका कम्प्युटर से प्रिंट निकालकर शामिल फर्द किया गया। उपरोक्त ट्रांसक्रिप्ट व पैन ड्राईव व डीवीडीयाँ मेरे निर्देशन में कानि0 श्री गोकुलेश नं0 454 एसीबी चौकी भरतपुर से तैयार करवाई गई। इसके बाद दिनांक 26.03.2026 को समय 12.10 एएम. पर परिवादी श्री राजपाल सिंह व दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मोहन प्रकाश बैरवा व श्री नवीन जोनवाल के सामने मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी निरंजन से रिश्वती राशि बरामदगी एवं हाथ धुलाई एवं आरोपी श्री निरजंन के पायेजामें की घुटने के पास की दॉयी जेब जिससे रिश्वत राशि 20,000/- रूपये बरामद हुये है की जेब को उल्टावाकर करवाई गई धौवन की कार्यवाही का श्री राकेश कुमार कानि0 70 से सरकारी मोबाईल मे नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी डालकर बनाई गई विडियोग्राफी की डीवीडी बनाने हेतु ट्रेप बाक्स से 3 खाली डी0वी0डी0 ली जाकर खाली होना सुनिश्चित कर सरकारी मोबाइल को लैपटाप से जोडकर रिकॉर्डशुदा विडियो की बारी-बारी से 3 डी0वी0डी0 तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर सभी डी0वी0डी0 पर मार्क V- 1, V-2,  V-3 अंकिंत कर दोनों गवाहान एंव परिवादी श्री राजपाल सिंह के हस्ताक्षर करवाकर डी0वी0डी0 मार्कं V- 1 न्यायालय हेतु एवं मार्क  V-2  मालखाना हेतु प्लास्टिक के कवर में अलग-अलग सुरक्षित रखकर कवर सहित दोनो डी0वी0डी0 को अलग-अलग सफेद कपडें की थैली में रखकर कपडे की थैली पर भी मार्क V- 1, V-2 अंकित कर, सील मोहर कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे पुलिस लिया गया तथा तीसरी डी0वी0डी0 मार्क  V-3  को अनुसंधान हेतु खुला रखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया एवं मोबाईल में लगाया जाकर बनाई गई विडियोग्राफी के उक्त मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल से निकाल कर मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी के कवर में रखकर कवर के पीछे एक चिट चस्पाकर उस पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 8 जीबी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क V अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से मोबाइल मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड शुदा विडियोग्राफी की श्री राकेश कुमार कानि0 70 से जो डी0वी0डी0 बनवाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एंव कांट छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द मूर्तिब की जावेगी। इसके बाद समय 12.40 एएम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान व परिवादी श्री राजपाल सिंह की मौजूदगी में आरोपीगण 1.रामेश्वर सिंह गुर्जर पुत्र श्री रमसू सिंह जाति गुर्जर उम्र 38 साल निवासी पान्होरी थाना सदर डीग जिला डीग हाल कानि0 नं0 17 पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर 2. निरंजन सिंह पुत्र

श्री रामचन्द्र  जाति राजपुत उम्र 54 साल निवासी तसाई, पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर को हस्प कायदा जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस 2023 के तहत कारित किया जाने पर आरोपीगण के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 के प्रावधानों के अनुसार गिरफ्तारी के कारणों का पृथक-पृथक नोटिस जारी किया जाकर एक-एक प्रति आरोपीगणो दी जाकर हस्ताक्षर करवाकर सुचित किया गया। तत्पश्चात समय 01ः00 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान व परिवादी श्री राजपाल सिंह की मौजूदगी में आरोपी रामेश्वर सिंह गुर्जर पुत्र श्री रमसू सिंह जाति गुर्जर उम्र 38 साल निवासी पान्होरी थाना सदर डीग जिला डीग हाल कानि0 नं0 17 पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर के खिलाफ जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस 2023 का अपराध साबित पाये जाने पर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। एवं समय 01ः10 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान व परिवादी श्री राजपाल सिंह की मौजूदगी में आरोपी निरंजन सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जाति राजपुत उम्र 54 साल निवासी तसाई, पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर के खिलाफ जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस 2023 का अपराध साबित पाये जाने पर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात समय 01ः20 एएम पर  ट्रेप कार्यवाही के दौरान जप्तशुदा रिश्वती राशि नोटो को, धोवन के सैम्पलों, एसडी कार्ड/डीवीडी/पैन ड्राईव व समस्त आर्टिकल्स को सील्ड मोहर करने हेतु उपयोग में ली गई कार्यालय की नमूना ब्रांस सील नम्बर 57 को श्री राकेश कुमार कानि. 70 से नष्ट करवाया जाकर फर्द नष्टीकरण पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 03ः30 एएम पर बाद सम्पूर्ण टै्रप कार्यवाही परिवादी श्री राजपाल सिंह एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नवीन जोनवाल व श्री मोहन प्रकाश बैरवा को हिदायत मुनासिब कर थाना कठूमर जिला अलवर से अपने मस्कन व जाया तैनाती हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 06ः30 एएम पर हस्वतलविदा श्री रामखिलाडी कानि0 52 एसीबी दौसा मेरे समक्ष उपस्थित आये। जिनको दिनांक 25.03.2026 को समय 06ः15 पीएम पर लैपटॉप में सेव की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट जिसका प्रिन्ट आउट मौके पर नही निकाला गया था जिसका थाना कठूमर पर आकर प्रिन्ट निकाला गया था। फर्द को श्री रामखिलाडी कानि0 52 को पढवाया जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 08ः00 एएम पर श्री दौलतराम हैड कानि न0 101, श्री बनवारी लाल हैड कानि0 116, श्री मुकेश चन्द कानि न0 101, श्री प्रेम प्रकाश कानि0 382, श्री लोकेश कुमार कानि0 155, मय प्राईवेट वाहन से बाद ट्रेप कार्यवाही मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर एवं अनुसंधान बॉक्स मय जब्तशुदा आर्टिकल्स सहित थाना कठूमर से एसीबी कार्यालय दौसा के लिए जब्तशुदा आर्टिकल्स को मालखाना में जमा करवाने हेतु श्री बनवारी लाल हैड कानि0 को हिदायत मुनासिब कर एसीबी चौकी दौसा के लिये रवाना किया। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही एवं मौके के हालात से परिवादी श्री राजपाल सिंह के फुफेरे भाई श्री ईश्वर सिंह के खिलाफ पुलिस थाना कठूमर पर दर्ज मुकदमा नम्बर 82/2026 में मदद करने के नाम पर दिनांक 25.03.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह एएसआई जो कि उक्त मुकदमें का अनुसंधान अधिकारी है, द्वारा अपने अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये 20,000/- रिश्वत की मांग करना एवं वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 1000 रूपये परिवादी से प्राप्त करना व शेष 19,000/- रूपये बाद में प्राप्त करने पर सहमत होने का यह कृत्य एवं आरोपीगण श्री रामेश्वर सिंह कानि0 17 पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर द्वारा अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये श्री निरंजन सिंह प्राईवेट व्यक्ति से मिली भगत कर दिनांक 25.03.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी श्री राजपाल सिंह से 20,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर अपनी उक्त मांग के अनुसरण में परिवादी से 20,000/- रूपये रिश्वती राशि श्री निरंजन सिंह को दिलवाई गई। उक्त रिश्वत राशि श्री निरंजन सिंह के पहने हुये खाकी पायजामें के दॉये घुटने के पास बनी जेब से बरामद होने पर आरोपीगण श्री नरेन्द्र कुमारे एएसआई, श्री रामेश्वर सिंह कानि0 17 पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर व श्री निरंजन सिंह के खिलाफ धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण श्री रामेश्वर कानि0 17 व श्री निरंजन सिंह को जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी श्री नरेन्द्र कुमार एएसआई को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने के कारण फरार होने के कारण गिरफ्तार नही किया जा सका। आरोपीगण 1- श्री रामेश्वर सिंह गुर्जर पुत्र श्री रमसो सिंह जाति गुर्जर उम्र 38 साल निवासी ग्राम पोस्ट पान्होरी थाना सदर डीग जिला डीग हाल कानि0 नं0 17 पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर 2. श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र  जाति राजपुत उम्र 54 साल निवासी तसाई, पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर 3. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पांचाराम मीना ग्राम मानोता कलां पुलिस थाना नगर जिला डीग हाल सउनि पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर के खिलाफ अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित की जावेगी।  (रविन्द्र सिंह) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रविन्द्र सिंह, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 (2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री रामेश्वर सिंह गुर्जर पुत्र श्री रमसो सिंह जाति गुर्जर उम्र 38 साल निवासी ग्राम पोस्ट पान्होरी थाना सदर डीग जिला डीग हाल कानि0 नं0 17 पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर

2. श्री निरंजन सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र जाति राजपुत उम्र 54 साल निवासी तसाई, पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर एवं 3. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री पांचाराम मीना ग्राम मानोता कलां पुलिस थाना नगर जिला डीग हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना कठूमर जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री शब्बीर खान, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 27 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 575-78 दिनांक 27.03.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** SABBIR KHAN **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 27/03/2026 17:44:59

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** PIYUSH DIXIT

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 1988 | | | | |
| 2 | Male | 1972 | | | | |
| 3 | Male | 1976 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)